

कार्यालय ग्राम पंचायत-

कनोरी

विकास स्वरूप

साइट

जनपद-

गाजीपुर

प्राप्ति

दिनांक

.....

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

प्रतीक्षा

अवगत कराना है कि दिनांक 12/6/2023 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्थमिक / जूहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाड़ी कार्यकर्त्री / ग्रामिया, कोंडेदार, ५००५००५० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर वार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियार के परियोजना द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के कियान्नयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अतः अनुरोद है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण नहीं हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परियारों द्वारा हरताक्षरित सहमति पत्र।

मेरि
M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

प्रबोधन दाहरा
ग्राम पंचायत-कनोरी
द्वाय पंचायत-कनोरी
विकास बृष्टि-सदात
ग्रामजिवन-नाजीपुर

ग्राम पंचायत संघ
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत-
५००५००-सदात, गढ़ी-



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: १२/०६/२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: १०/७/२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: कनरी

ग्राम पंचायत का नाम: कनरी

डब्लॉक का नाम: सापत

जिला का नाम: गाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और ३ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ८, घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २.५, तक ११.०० (ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १० %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पैचाल वर्टेटा नामीत

अध्यक्ष का नाम: शिल्व-परवानगम

लिंग: ५१५

आयु: ४५

सुष्मा अनुबंध-कानूनी
ग्राम पंचायत-कानूनी
तथा विकास बुण्ड मंडल
विकास बुण्ड मंडल
ग्राम-गांजीपुर

M.P. Singh

(Director)

Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

III. सामान्य विवरण

- | | | |
|----|---|---|
| 6. | 2011-नी जनसंख्या के अनुमान जनसंख्या - ५२१.०८ परिवारों की संख्या - ५७३.३६ साक्षरता की संख्या - ५५८ पुल्ल की संख्या - १३१२ दृश्यों की संख्या - १६१.४८ एक प्रत्येक सीढ़ी की संख्या - | वर्तमान पर्यावरण गोपनीयता रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान जनसंख्या - ५२९७ परिवारों की संख्या - ५७८ साक्षरता की संख्या - ५५० पुल्ल की संख्या - १६०० दृश्यों की संख्या - १२९९ एक प्रत्येक सीढ़ी की संख्या - |
|----|---|---|

7. जनसंख्या अनुमानः

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): **66** किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): **111** किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मदेशी संख्या (पश्चालन रिकॉर्ड): 600

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

| प्रमुख फसल | उत्पादक | रकी |
|---------------|-------------|-------------|
| गेहूं | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| चान | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| मक्का | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| तेलाम | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| जीरा | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| मुख्य उत्पादक | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 170.9 175

11. स्थिताकृति (समतल, ढालन, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) 6
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) ६
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| क्रमांक | संचयनिका संस्थान का नाम | क्षेत्र एवं पर्याप्ति से उपलब्ध हो जावटी | क्षेत्र एवं पर्याप्ति से उपलब्ध हो जावटी | सोसाइटी नडी की उपलब्धता (हासिल) |
|---------|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1. | दक्षिण | (H) | | |
| 2. | आंगनवाड़ी | (P) | | |
| 3. | स्पृह अवास | | | |
| 4. | ग्राम पंचायत भवन | (C) | | |
| 5. | विद्यालय | | | |

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 44.16 के.एल.डी.
 मध्यवर्ती के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 210 के.एल.डी.
 मध्यवर्ती कंडों की आवश्यक संख्या: 3
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 240.11 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 67 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, नहीं

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: हैला → मलेरिया → टायमाइट

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

| संपर्क | उपयोग | परिणाम |
|-------------------------|--------------------|--------|
| पाठी | पाठी रख तुलना | परिणाम |
| पाणी जलपत्ता | पाठीमाटिक चिकित्सा | |
| पाणी बारीयता | पाठीमाटिक चिकित्सा | |
| चक्रवाती | दृश्य रख तुलना | |
| अगोनिया | दृश्य रख तुलना | |
| कृषक | दृश्य रख तुलना | |
| तावशीट कलोरीन | दृश्य रख तुलना | |
| काष्ठरता | दृश्य रख तुलना | |
| नाइट्रोट | दृश्य रख तुलना | |
| फ्रॉटरेट | दृश्य रख तुलना | |
| असाइनक (हार्टस्पॉट में) | दृश्य रख तुलना | |

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए स्थान जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: डॉ. वा. टाटा

| अवस्थिति का नाम | स्रोत की संख्या | जाचादी |
|-----------------|-----------------|--------|
| लाललाला 101 | 578 | 4294 |

सौत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) नहीं

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 43 के.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड़दों वाले परिवारों की संख्या: 5

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोडता गड्ढों की आवश्यकता है: 12

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या : ४

क्या अपशिष्ट तलचंट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं): हाँ

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी हां

V. जल आपर्टिं योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बहुत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - सिन्हा सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अग्निर्धात्र जल स्रोतः

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तुतिवित जल आपत्ति योजना: लंबे समय के लिए जल संकट की स्थिति

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भवित्व:

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.इ.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: 1,80 भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: १०४ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रधानमन्त्री द्वारा रखे गये शुल्क: व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

• VI. मेल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समादाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| | | | |
|---|---|--|---|
| 29. योजना का नाम | केन्द्रीय संस्कारको विभाग | समाजिक गतिविधि (जो इन सूची की जटिलता से समाजिक संबद्धताएँ बढ़ाव देता है) | प्रस्तुतियाँ निपटाने |
| स्वच्छ भारत मिशन—गोमोण (एसडीएसडीजी) | प्रधानमंत्री स्वच्छता विभाग, जल औक्तं मंत्रालय | गवाहार अनुचित साक्षात् गढ़ठ (व्यक्तिगत रासायनिक), अपशिष्ट तकनीट तात्त्व आदि। | प्राकृतिक संरक्षण इवाच इति जारीयम् विद्वांक वित्त समाजिक उत्तरस्था प्रसारणां प्रसारणां |



| योजना का नाम | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग | संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं | प्रस्तावित निधि |
|--|--|--|-----------------|
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) | भूमि संसाधन विभाग | वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि। | |
| जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण | वाटरशेड से संबंधित कार्य | |
| प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफरी से जल की निकासी को कम करने के लिए | |
| क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | बनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि। | |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि | |
| समर्थ शिक्षा | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | स्कॉलर्स में पेयजल औषुक्ति का प्रावधान | |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम | नीति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ | |
| जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ) | राज्य | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ | |
| एम.पी.ए.ल.ए.डी. | सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतर्गाम अवसंरचना | |
| एम.ए.ल.ए.ए.ल.ए.डी. | राज्य | अंतर्गाम अवसंरचना | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य | अंतर्गाम अवसंरचना | |
| दनदाता/प्रायोजक | | | |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: प्रियतारा भट्ट

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: प्रियतारा भट्ट ना० ८५

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): प्रियतारा भट्ट ना० ८५

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. अर्पना ना० ८५ — ९१७०३०९७५५
2. मंषु — ९५८०२४४२७।
- 3.
4. पार्वती ना० ८५ — ८९५०८१२१५४
5. प्रितिका ना० ८५ — ६३९३४७४७८७

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)


Ram Kumar